निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1936 (शo)

(सं0 पटना 923) पटना, मंगलवार, 11 नवम्बर 2014

गन्ना उद्योग विभाग

———

आदेश

24 सितम्बर 2014

सं0 **वि०उ० 02–09/11–2154—23.09.2014**: CWJC No.13980/2014 में दिनांक 01.09.2014 को मा० उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम–1981 की धारा–31(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुरेश कुमार सिन्हा, ईखायुक्त, बिहार, पटना ने मेसर्स तिरूपति सुगर्स मिल्स लि०, बगहा, प० चम्पारण द्वारा पेराई सत्र 2014–15 से पेराई सत्र 2016–17 तक के लिए प्रस्तुत 60 (साठ) अपरम्परागत ग्रामों के क्षेत्र आरक्षण प्रस्ताव पर पुनः सुनवायी किया। सुनवायी में संबंधित चीनी मिल के महाप्रबंधक, (गन्ना) श्री बी०एन० त्रिपाठी एवं महाप्रबंधक (प्रशासन) श्री सत्य नारायण सिन्हा, सभी ईख पदाधिकारी, सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर एवं संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना उपस्थित थें। इस चीनी मिल के पक्ष में वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक के लिए अपरम्परागत ग्रामों से संबंधित गत् आरक्षण आदेश का भी अवलोकन किया जिसके अनुसार 3 (तीन) ग्राम–कुड़िया (296), कोलुहा (297) एवं मठिया (298) इस चीनी मिल के साथ आरक्षित थे।

अपने क्षेत्र आरक्षण प्रस्ताव के संबंध में मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि० के महाप्रबंधक (गन्ना) द्वारा बताया गया कि उनके लिए मात्र 295 ग्रामों का परम्परागत क्षेत्र गठित है जिसमें गन्ने के पर्याप्त उपलब्धता नहीं रहने के कारण गत् वर्ष उनकी चीनी मिल निर्धारित एन०सी०आर० 93.84 लाख क्विंटल के विरूद्ध मात्र 82.50 लाख क्विंटल गन्ने की ही पेराई कर पायी। गन्ने के अभाव में काफी दिनों तक उन्हें 'नो–केन' का भी सामना करना पड़ा। अवगत कराया गया कि वर्त्तमान् प्रबंधन द्वारा वर्ष 2008–09 में इस चीनी मिल का अधिग्रहण किया गया तथा उस समय से आज तक निवेश

करते हुए उनके कम्पनी द्वारा मिल की पेराई क्षमता को 2500 टी॰सी॰डी॰ से 5000 टी॰सी॰डी॰ तक विस्तारित किया गया है तथा गत् वर्ष उनकी चीनी मिल में औसतन 63000 क्विंटल प्रति दिन गन्ने की पेराई हुयी तथा उनकी चीनी मिल ने राज्य में सर्वाधिक रिकवरी 9.57 प्रतिशत प्राप्त कर सरकार द्वारा घोषित उच्च रिकवरी पुरस्कार का भी दावेदार बने। उन्होंने बताया कि आगामी पेराई सत्र 2014–15 के लिए उनका एन॰सी॰आर॰ 98.11 लाख क्विंटल निर्धारित हुआ है। पूर्व से आरक्षित क्षेत्रों में कराये गये जी॰पी॰एस॰ सर्वेक्षण के अनुसार कुल 58394.49 एकड़ में ईख का आच्छादन है जिससे उन्हें अनुमानित 82 लाख क्विंटल गन्ना ही पेराई हेतु उपलब्ध हो पायेगा। उपरोक्त आलोक में आगामी पेराई सत्र में अपने चीनी मिल के गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके द्वारा बगहा अंचल के 9 ग्राम, भितहॉ अंचल के 5 ग्राम, चनपटिया अंचल के 16 ग्राम, योगापट्टी अंचल के 27 ग्राम एवं पूर्व से आरक्षित मधुबनी प्रखण्ड अन्तर्गत 3 ग्राम सहित कुल 60 ग्रामों को उनके पक्ष में अपरम्परागत रूप में आरक्षित करने का अनुरोध किया गया।

बगहा चीनी मिल द्वारा किये गये उपरोक्त अनुरोध का प्रतिवाद करते हुए हरिनगर चीनी मिल के मुख्य महाप्रबंधक श्री एस॰ एन॰ पोद्दार द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि बगहा चीनी मिल की स्वीकृत अनुज्ञप्ति 5000 टी॰सी॰डी॰ की है। उपरोक्त आलोक में इनका एन॰सी॰आर॰ 65 लाख क्विंटल ही होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बगहा चीनी मिल द्वारा प्रस्तावित बगहा अंचल के 7 ग्राम, भितहॉ अंचल के 5 ग्राम, चनपटिया अंचल के 16 ग्राम एवं योगापट्टी अंचल के 7 ग्राम उन्हें गत् कई वर्षा से आरक्षित होते रहा है तथा इन क्षेत्रों में मिल प्रबन्धन द्वारा सघन ईख विकास कार्यक्रम के माध्यम से अपने चीनी मिल की आवश्यकता हेतु गन्ने का आच्छादन कराया गया है। साथ ही पेराई वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित सामान्य ईख आवश्यकता 141.42 लाख क्विंटल है। उनके आरक्षित क्षेत्र में कुल 1.46 लाख एकड़ में ईख का आच्छादन है, जिसमें गत् वर्ष के ड्रावल रेट 103 क्विंटल प्रति एकड़ के आधार पर लगभग 152 लाख क्विंटल गन्ना ही पेराई हेतु उपलब्ध हो पायेगा। हरिनगर चीनी मिल के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके आरक्षित क्षेत्र में ईख आच्छादन की इंटेन्सीटी 67.58 प्रतिशत है। उन्होंने विगत् 5 वर्षो में बगहा चीनी मिल के ईख आच्छादन से संबंधित कागजात समर्पित करते हुए यह स्पष्ट किया कि बगहा चीनी मिल के ईख आच्छादन में निरंतर गिरावट आयी है फलस्वरूप ईख विकास से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वित कराते हुए क्षेत्र में गन्ने की उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करते हुए इस मिल द्वारा अपने आवश्यकता के अनुरूप गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है।

बैठक में उपस्थित लौरिया चीनी मिल के प्रतिनिधि द्वारा भी उनके आरक्षित क्षेत्र अन्तर्गत लौरिया अंचल के 15 ग्रामों के बगहा चीनी मिल के लिए प्रस्तावित आरक्षण का विरोध किया गया। उन्होंने बताया कि उनका एन॰सी॰आर॰ 35. 11 लाख क्विंटल है यदि उनके क्षेत्र से गन्ने की पोचिंग नहीं होती है तो किसी प्रकार एन॰सी॰आर॰ के अनुरूप पेराई हेतु गन्ना उपलब्ध हो पायेगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष उनकी चीनी मिल 3500 टी॰सी॰डी॰ की क्षमता से चलेगी तथा अगले वर्ष उनके चीनी मिल की पेराई क्षमता को 5000 टी॰सी॰डी॰ तक विस्तारित करने की कार्य योजना है।

इससे पूर्व दिनांक 18.09.2014 को संबंधित क्षेत्र के गन्ना कृषकों की सुनवाई की गई। इस क्रम में श्री प्रभात रंजन सिंह, माननीय स०वि०स० एवं 65 अन्य कृषकों द्वारा समर्पित आपत्ति आवेदन का भी अवलोकन किया गया। क्षेत्र आरक्षण के विषय पर दिनांक 18.09.2014 को सम्पन्न प० चम्पारण जिले के गन्ना किसानो की हुई सुनवायी के दौरान उनके द्वारा अभिव्यक्त की गयी भावनाओं सहित सभी किसानों, उनके प्रतिनिधियों एवं जन प्रतिनिधियों से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। बगहा चीनी मिल के मांग के अन्तर्गत चनपटिया एवं योगापट्टी अंचल अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों से संबंधित किसानो ने गत् वर्षो में आरक्षित नरकटियागंज एवं हरिनगर चीनी मिल के कार्य–कलापो पर संतोष व्यक्त करते हुए तथा उन मिलों से प्राप्त होनेवाले सुविधा एवं दूरी का उल्लेख करते हुए उनके द्वारा आग्रह किया गया कि गत् वर्षो में उनके लिए किये गये क्षेत्रारक्षण व्यवस्था को यथावत् रखा जाय। भितहॉ एवं

मधुबनी प्रखण्ड के कुछ किसानों द्वारा यह आग्रह किया गया कि उनका क्षेत्र गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ प्रचुर मात्रा में पेराई हेतु गन्ने की उपलब्धता है। उपरोक्त आलोक में उनके द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि उनके क्षेत्र को मुक्त (फ्री) रखते हुए हरिनगर एवं बगहा दोनों चीनी मिलों का क्रय केन्द्र स्थापित करवाते हुए गन्ने के खपत की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। तदोपरान्त क्षेत्रीय विकास परिषद की अनुशंसा का भी अवलोकन किया गया एवं विभागीय पदाधिकारियों के मंतव्य को भी सुना गया।

सुनवायी के क्रम में यह परिलक्षित हुआ कि बगहा चीनी मिल क्षेत्र में पर्याप्त कल्टीवेवुल एरिया उपलब्ध है, जिसमें सघन गन्ना विकास योजनाओं को चलाते हुए ईख आच्छादन एवं उसके उत्पादन में वृद्धि की असीम संभावना है तथा उसके माध्यम से यह चीनी मिल अपने सामान्य गन्ने की आवश्यकता की पूर्त्ति कर सकती है।

बगहा चीनी मिल द्वारा क्षेत्रारक्षण हेतु प्राप्त प्रस्ताव एवं कार्यालय अभिलेख आदि के अवलोकन से प्रतीत होता है कि बगहा चीनी मिल की पेराई क्षमता 5000 टी॰सी॰डी॰ है। चीनी मिल का एन॰सी॰आर॰ 98.11 लाख क्विंटल है। चीनी मिल को गत् वर्षो के आरक्षित ग्रामों में 58394.49 एकड़ गन्ना आच्छादन है। चीनी मिल क्षेत्र में 82 लाख क्विंटल मात्र गन्ना उपलब्ध है। हरिनगर चीनी मिल की पेराई क्षमता 10000 टी॰सी॰डी॰ है। चीनी मिल का एन॰सी॰आर॰ 141.42 लाख क्विंटल है। चीनी मिल को गत् वर्षो तक आरक्षित ग्रामों में 146664.15 एकड़ गन्ना आच्छादन है। विभागीय सट्टा नीति के अनुसार इस चीनी मिल क्षेत्र में 205 लाख क्विंटल गन्ने की उपलब्धता परिलक्षित होती है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बगहा चीनी मिल द्वारा प्रस्तावित आरक्षण प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त चीनी मिल के एन॰सी॰आर॰ के अनुरूप गन्ने की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आदेश ज्ञापांक–37 दिनांक 04.01.2012 के माध्यम से हरिनगर चीनी मिल को आरक्षित भितहॉ अंचल अन्तर्गत ग्राम–के॰ मानपुर राजस्व थाना नं०–395, कन्हैयापुर थाना नं०–406, प्रेमही थाना नं०–408 एवं के॰ वसौली थाना नं॰–299 तथा मधुबनी अंचल अन्तर्गत बगहा चीनी मिल को गत् आरक्षित कुड़िया थाना नं०–296, कौआहा थाना नं०–297 एवं मठिया थाना नं०–298 कुल सात ग्राम जो हरिनगर एवं बगहा चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र से सटे हुए हैं, को अगले आदेश तक अनारक्षित रखते हुए मुक्त क्षेत्र (वफर जोन) घोषित किया जाता है। उक्त क्षेत्र में क्रय केन्द्र स्थापित कर बगहा एवं हरिनगर चीनी मिल उपलब्ध गन्ने का क्रय कर सकेगी।

लेखापित एवं शुद्धिकृत
सुरेश कुमार सिन्हा,
ईखायुक्त, बिहार, पटना ।

आदेश से,
सुरेश कुमार सिन्हा,
ईखायुक्त, बिहार, पटना ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 923-571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in